बिस्मिल्लाहिर्रह्मानिर्रहीम

विषय-सूची

क्र.सं.	विवरण	पेज नं
01.	इन्तिसाब	05
02.	मुक़द्दमा	06
02.	फ़रार लड़कियों का निकाह़ : एक सुलगता हुआ मसला	11
	लेकिन	12
	वली की विलायत कब सुल्त़ान की त़रफ़ मुंतक़िल...	13
	ज़बरदस्ती और अ़ज़ल का मफ़्हूम	14
	जब्र दरअस़ल ये है कि	15
03.	विलायते निकाह़ का मसला और उसकी दलीलें	17
	क़ुर्आनी दलीलें	17
	बयान की गई आयत का शाने नुज़ूल	21
	वली के लाज़िम होने के बारे में अह़ादीष़ की दलीलें	23
	मज़्कूरा अहादीष़ पर ऐतराज़ात और उनकी हैष़ियत	25
	ज़ेरे बहष़ (विचाराधीन) मसले का अ़क़्ली जायज़ा	29

क्र.सं.	विवरण	पेज नं
04.	इस्लामी शरीअ़त बनाम दुनयवी सरकारें और अ़दालतें	30
	मुस्लिम हुकूमतों का ज़वाल और दुनियवी अ़दालतों का क़याम	32
	शरअ़ी क़ानून से बेरुख़ी	34
	शरअ़ी क़ानून की हैषियत	35
	इस्लामी शरीअ़त बनाम दुनियवी अ़दालत	36
	मज़हबी आज़ादी बनाम व्यक्तिगत स्वतंत्रता	37
	सरकारी क़र्ज़ बनाम माँ-बाप का क़र्ज़	37
	संतुलन बनाने की ज़रूरत	38
05.	ख़ुलाऱ्सा (सारांश)	39
06.	कुछ एहतियाती तदबीरें (बचने के उपाय)	40

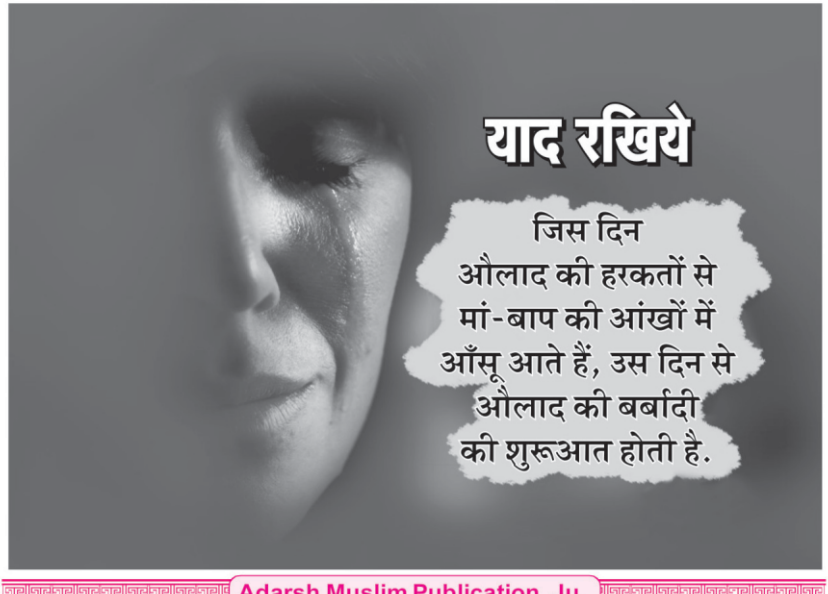

फ़रार लड़कियों का निकाह़ : एक सुलगता हुआ मसला

बुलूग़त (जवानी) के बाद लड़की की शादी करना एक अहम मसला है। वैसे तो नौजवान लड़के की शादी भी कम अहम नहीं है क्योंकि दोनों की बाबत नबी करीम (ﷺ) का फ़र्मान है कि बालिग़ होने के बाद शादी में देरी न की जाये। लेकिन मुस्लिम समाज में नौजवान लड़की की शादी का मसला बहुत ज़्यादा अहम है, इसकी वजह ये है कि उसके लिये पर्दे की पाबन्दी है, अपने शरई मह़रमों के अ़लावा दूसरे मर्दों से उसके मेल-मुलाक़ात पर पाबन्दी है, रोज़गार कमाने की चिन्ता से इस्लाम ने उसे आज़ाद रखा है। इसलिये इन सबकी ख़ातिर उसे बाहर जाने और लोगों से मेलजोल की ज़रूरत पेश नहीं आती।

इस्लाम की ता'लीमात का लाज़मी ख़ुलास़ा (अनिवार्य सार) यह है कि लड़की की शादी की तमामतर ज़िम्मेदारियाँ उसके औलिया (अभिभावकों) पर हो, वही उसके लिये मुनासिब रिश्ता तलाश करें और वही शादी की तमाम ज़िम्मेदारियों को अंजाम दें।

वालिदैन के दिल में औलाद की मुहब्बत, एक फ़ितरी (प्राकृतिक) चीज़ है। ये फ़ितरी मुह़ब्बत ही वालिदैन को इस बात पर आमादा करती है कि वो उसकी पैदाइश के बाद उसे पालने-पोसने पर अपनी कमाई और अपना वक़्त ख़र्च करे। यह मुह़ब्बत ही माँ-बाप को इस बात के लिये मजबूर करती है कि वो अपनी नौजवान लड़की के लिये ऐसा मुनासिब (उपयुक्त) रिश्ता तलाश करें जो उसके लिये बेहतर हो। **माँ-बाप से ज़्यादा औलाद का कोई ख़ैरख़्वाह नहीं हो सकता, चुनाँचे वो शादी के मौक़े पर अपनी ख़ैरख़्वाही का ह़क़ इस तरह अदा करते हैं कि बेहतर से बेहतर रिश्ता तलाश करने में कोई कसर नहीं छोड़ते।** यही वजह है कि आ़म

इस्लामी शरीअ़त बनाम दुनयवी सरकारें और अ़दालतें

मुस्लिम हुकूमतों का ज़वाल और दुनियवी अ़दालतों का क़यामः

फ़रार लड़कियों के निकाह़ पर अ़दालत के रुख़ को समझने से पहले एक बार हम इसका पसमंज़र (बैकग्राउण्ड) भी समझ लें तो बेहतर होगा। अ़दालतों में वही क़ानून चलते हैं जो देश की सरकार संसद में पास करके बनाती है। अंग्रेज़ों के भारत में आने से पहले देश में ज़्यादातर रियासतों में मुस्लिम हुकूमतें थीं। लेकिन ये भी एक ह़क़ीक़त है कि उन नामनिहाद मुस्लिम रियासतों में शरीअ़त क़ानून पूरी त़रह़ लागू नहीं थे।

इस्लामी शरीअ़त में शराब पीना सख़्ती से मना है, शराब को **'उम्मुल ख़बाइष़ (गुनाहों की माँ)'** कहा गया है। लेकिन उस बादशाही दौर में न सिर्फ़ शराब पी जा रही थी बल्कि शराब की शान में ग़ज़लें भी कही जा रही थी। एक शे'र है,

रात को शराब पी और सुब्ह़ को तौबा कर ली,
रिन्द के रिन्द रहे और हाथ से जन्नत न गई।

इस्लाम में नाच-गाना ह़राम (वर्जित) है लेकिन मुस्लिम बादशाहों के दरबारों में तवायफ़ों के रक़्स (नाच) हुआ करते थे। अनेक मुस्लिम नवाब, अमीर, रईस और जागीरदार, तवायफ़ों के कोठों पर मुजरा सुनने जाते थे। यहाँ तक कि मालदार लोगों के यहाँ शादी-ब्याह के मौक़े पर **मुजरा** करवाना लाज़मी (अनिवार्य) समझा जाता था। मुग़लिया सल्त़नत के आख़री दौर में तवायफ़ों के इन कोठों ने बहुत ऊँचा मक़ाम बना लिया था। बड़े-बड़े और नामचीन शाइरों की ग़ज़लें और रूबाइयाँ तवायफ़ों की ज़बान से अदा होकर अमीरों व नवाबों के कानों तक पहुँचती थीं। अमीर घरों के लोग अपने बच्चों को **'उर्दू अदब (साहित्य)'** की ता'लीम दिलाने और तलफ़्फ़ुज़ (उच्चारण) ठीक करने के लिये इन तवायफ़ों के कोठों पर भेजा करते थे।